P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-9*(Part-1) December 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

नगर निगम बीकानेर : निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की भूमिका

सारांश

74वें संविधान संशोधन अधिनियम[1] के माध्यम से एक ओर जहां नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया वहीं दूसरी ओर महिला सशक्तिकरण हेतु महिलाओं को भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके पीछे यह उद्देश्य निहित था कि सामाजिक विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तथा समाज के विकास में वे पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर सकेंगी। आरक्षण का प्रावधान होने से महिलाओं की निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी तो बढ़ी किन्तु क्या उनके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में प्रभावी भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है? इसी परिप्रेक्ष्य में यह शोध–पत्र अवलोकनीय है।

मुख्य शब्द : 74वें संविधान संशोधन, नगर निगम, प्रत्यक्ष निर्वाचन, आरक्षण का प्रावधान, महिला आरक्षण, महिला प्रतिनिधित्व, बीकानेर नगर निगम, छद्म राजनीति, पारिवारिक निर्भरता।

साधना भंडारी
सह आचार्य,
लोक प्रशासन विभाग
राजकीय डूँगर स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
बीकानेर

अशोक कुमार
शोध–छात्र
लोक प्रशासन विभाग,
राजकीय डूँगर स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
बीकानेर

प्रस्तावना

भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन द्वारा किसी भी बड़े नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम के गठन का प्रावधान किया गया, साथ ही नगर निगम में निर्वाचन के स्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है।[2] संविधान के अनुच्छेद 243 में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के आरक्षण के साथ–साथ महिला के आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है।[3] संवैधानिक उपबंधों की अनुपालना में राजस्थान में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों का निगम क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में किया गया है। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाने वाले पार्षदों में से महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किये गये हैं। महिलाओं के आरक्षित स्थानों में से 1/3 स्थान अनुसूचित जातियों/जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है।[4] 22 अगस्त 2008 से बीकानेर में नगर परिषद के स्थान पर नगर निगम कार्य कर रहा है। बीकानेर नगर निगम में महिला प्रतिनिधियों की भूमिका की विवेचना ही इस शोध–पत्र का उददेश्य है।

अध्ययन की आवश्यकता, उद्देश्य एवं महत्व

प्रस्तुत शोध अध्ययन में बीकानेर नगर निगम में महिला प्रतिनिधियों की भूमिका की विवेचना करने का प्रयास किया गया है। समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने, विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने में स्थानीय निकाय किस रूप में कार्य कर रहे हैं तथा महिलाओं द्वारा नगर निगम के निर्वाचन में भागीदारी तथा निर्वाचन के उपरान्त दायित्व निर्वहन में उनकी कार्य कुशलता की विवेचना के माध्यम से महिला प्रतिनिधियों की भूमिका को समझना आसान होगा। प्रस्तुत शोध की सार्थकता, इसकी आवश्यकता एवं इसका महत्व उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट है।

अनुसंधान प्रविधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोध की प्रकृति विवरणात्मक व विश्लेषणात्मक है। बीकानेर नगर निगम में महिला प्रतिनिधियों की भूमिका को जानने के लिए शोध प्ररचना के विवरणात्मक प्रकार को अपनाया गया है तथा तथ्यात्मक वास्तविकता को समझने के लिए विश्लेषणात्मक शोध प्रविधि को आधार बनाया गया है।

तथ्यों का संकलन

प्रस्तुत शोध को वस्तुनिष्ट एवं वैज्ञानिक बनाने के उद्देश्य से तथ्य संकलन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों से सूचनाओं एवं तथ्यों का संकलन किया गया है। प्राथमिक स्रोतः प्राथमिक स्रोतों से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए नगर निगम बीकानेर के मूल दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। साथ ही

इन सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए शोधकर्ता द्वारा नगर निगम से संबद्ध जन प्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया। द्वितीयक स्रोतः शोध अध्ययन के सैद्धान्तिक पक्ष का विवेचन करने के लिए द्वितीयक स्रोतों से भी सूचनाएं एकत्रित की गयीं। इस क्रम में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले आदेश, अध्यादेश, प्रतिवेदन एवं विषय से संबंधित पुस्तकों, समाचार–पत्रों में उपलब्ध अध्ययन सामग्री का उपयोग किया गया।

बीकानेर नगर निगम में महिला प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु आरक्षण

नगर निगम के वार्डों से प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा प्रतिनिधि/पार्षद जनता द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। बीकानेर नगर निगम को 60 वार्डों में विभक्त किया गया है। जिसमें 60 निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं तथा इनके अतिरिक्त 6 पार्षद मनोनीत होते हैं। कुल निर्वाचित सदस्यों के 10 प्रतिशत तक मनोनीत पार्षदों को चुनने का प्रावधान है। निगम में पार्षद के रूप में विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों यथा कला, साहित्य, संस्कृति का ज्ञान रखने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को पार्षद के रूप में मनोनीत किया जाता है।

बीकानेर में वर्तमान में निर्वाचित पार्षदों की स्थिति निम्नानुसार है–

सारिणी 1

लिंग के आधार पर पार्षदों की संख्या[5]

क्र.सं	लिंग	संख्या	प्रतिशत
1	पुरूष	40	66.67
2	महिलाएं	20	33.33
	योग	60	100.00

वर्तमान में बीकानेर नगर निगम में कुल 60 निर्वाचित पार्षदों में से महिला पार्षदों की संख्या 20 है।

सारिणी–2

आरक्षण नीति के अन्तर्गत आरक्षित वार्ड[6]

क्र. सं	वार्ड	संख्या	प्रतिशत
1	सामान्य महिला	13	21.67
2	अनुसूचित जाति पुरूष	5	8.33
3	अनुसूचित जाति महिला	2	3.33
4	अन्य पिछड़ी जाति पुरूष	8	13.33
5	अन्य पिछड़ी जाति महिला	4	6.67
6	सामान्य	28	46.67
	योग	60	100.00

आरक्षण नीति के अनुसार सामान्य महिला 13, अनुसूचित जाति पुरूष 5, अनुसूचित जाति महिला 2, अन्य पिछड़ी जाति पुरूष 8 अन्य पिछड़ी जाति महिला 4 एवं सामान्य 28 है। यहां उल्लेखनीय है कि कुल 28 सामान्य सीटों में से 27 सीटों पर पुरूष एवं 1 सीट पर महिला पार्षद निर्वाचित हुई है।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की भूमिका

महिलाओं का समर्थ होना निरन्तर विकास की बुनियाद है। समर्थ होने पर ही महिलाएं जीवन के सभी लक्ष्यों को हासिल कर सकती हैं। इसके लिए महिला सशक्तिकरण अपेक्षित है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है– महिलाओं में आत्म सम्मान, आत्म निर्भरता, आत्म विश्वास व समानता का अवसर समान रूप से प्रदान करना, जिससे महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सके। यदि कोई महिला अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के प्रति सजग और आत्म निर्भर है तो उसका आत्म सम्मान अवश्य ऊंचा होगा। कोई भी राष्ट्र तभी विकास कर सकता है, जब राष्ट्र की लगभग आधी आबादी, जो महिलाओं की है, को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक व धार्मिक आदि समस्त क्षेत्रों मे सशक्त किया जाए। अरस्तु के शब्दों में किसी भी राष्ट्र की महिलाओं की उन्नति व अवनति से ही उस राष्ट्र की उन्नति व अवनति होती है।

महिला पार्षदों की भूमिका प्रभावी नहीं होने के कारण

राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर महिलाओं ने अपनी प्रभावी उपस्थिति समय–समय पर दर्ज करवायी है। किन्तु स्थानीय राजनीतिक स्तर पर महिला जन प्रतिनिधियों द्वारा प्रभावी भूमिका का निर्वहन देखने में यदा–कदा ही मिलता है। इसके मुख्य कारण है–

1. महिला प्रतिनिधि प्रायः पुरूषों पर नीति निर्माण हेतु निर्भर होती हैं।
2. महिला प्रतिनिधियों के प्रति पुरूष प्रधान समाज की नकारात्मक सोच।
3. महिला प्रतिनिधि महिला आरक्षण के कारण राजनीति में प्रवेश करती है। उनमें स्वयं निर्णय लेने के बजाय महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए परिजनों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति होती है।
4. ज्यादातर महिला जनप्रतिनिधि उच्च शिक्षित नहीं होती, जिसके कारण वह निगम के कार्यों एवं योजनाओं के बारे में जानकारी रखने में असक्षम होती हैं। प्रायः महिला पार्षदों को अपने वार्ड सीमा क्षेत्र का ज्ञान नहीं होता।
5. पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी कम होती है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक अनुभव की कमी के कारण प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन में दक्ष नहीं हो पाती।
6. महिला जनप्रतिनिधियों के पति या घर के पुरूष सदस्यों द्वारा ही उनके जनप्रतिनिधि के रूप में किये जाने वाले कार्यों एवं अधिकारों का प्रयोग किया जाता है। इनके वार्ड से सम्बन्धित समस्याओं के सम्बन्ध में इनके पति या परिवारजन ही नगर निगम कार्यालय के चक्कर लगाते हैं। यहॉ तक कि उनके जवाब भी उनके पति या परिवारजन द्वारा ही दिये जाते हैं। इस प्रकार निर्वाचित महिला प्रतिनिधि अपने प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन में परिवार के सदस्यों पर निर्भर रहती है।
7. ज्यादातर महिला पार्षद आर्थिक रूप से अपने परिवारजनों पर आश्रित होती हैं, जिस कारण वह

परिवारजनों की सहमति, दबाव व उनके अनुसार ही कार्य करती हैं।

8. स्वयं की झिझक– महिलाओं के प्रायः सक्रिय राजनीति में नहीं होने के कारण तथा विषय के ज्ञान के अभाव में अपने निर्णय स्वयं लेने में झिझकती है। साथ ही घूंघट प्रथा के प्रचलन के कारण वे मुखर होकर राजनीतिक निर्णयों में भाग नहीं लेती तथा उनमें झिझक व संकोच बना रहता है।
9. नगर निगम बीकानेर में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों में से एक दो पार्षदों को छोड़कर ज्यादातर महिला पार्षद घरेलू गृहिणी होती है। वह सिर्फ महिला आरक्षण के कारण परिवारजनों की राजनीतिक सक्रियता एवं भूमिका के कारण ही निर्वाचित होकर निगम पहुंचती है। उन्हें निगम के बारे में लघु ज्ञान तक भी नहीं होता। जिसके कारण निर्वाचित महिला पार्षदों की भूमिका प्रभावी नहीं हो पाती।

निष्कर्ष

महिला प्रतिनिधियों में प्रायः व्यक्तिगत अभिरूचि या लोकहित की भावना से राजनीति में या निर्वाचन में भाग लेने की प्रवृत्ति कम पायी जाती है। साथ ही अशिक्षा, पर्दा प्रथा, परिवार के पुरूष सदस्य या पति पर निर्भरता तथा संकोच आदि अनेक ऐसे कारण हैं, जिनके कारण महिलाएं निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में प्रभावी भूमिका निर्वहन नहीं कर पातीं। फलतः छद्म राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिला है। यह लोकतंत्र की दृष्टि से एक प्रतिगामी कदम है।

सुझाव

अतः बीकानेर नगर निगम में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की भूमिका को प्रभावी बनाने हेतु कतिपय सुझाव निम्नानुसार हैं–

1. निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों में प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन हेतु सक्षम बनाने के लिए इनकी क्षमता बढ़ाने हेतु प्रशासन द्वारा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।
2. निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को विभाग की नवीनतम जानकारी मिल सके, इस हेतु सरकार व निगम प्रशासन द्वारा समय–समय पर कार्यशालाओं तथा शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए।
3. निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को जिन नगर निगमों में महिला प्रतिनिधियों द्वारा दक्षता से दायित्व निर्वहन किया जा रहा है, ऐसे नगर निगमों का भ्रमण करवाया जाना चाहिए, जिससे उनमें आत्म विश्वास व जागरूकता बढ़ेगी तथा निर्णय लेने में मानसिक सुदृढ़ता में वृद्धि हो सकेगी।
4. निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की दक्षता एवं आत्म विश्वास में वृद्धि हेतु राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाना चाहिए।
5. निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए आयेजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं तथा शिविरों में महिला प्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य की जानी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *भारत का संविधान, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम*
2. *पाण्डेय, डा. जय नारायण, अनुच्छेद 243, भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद, पृ. 529*
3. *अनुच्छेद 243, भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद, पृ. 529*
4. *राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 पृ. 529*
5. *नगर निगम, बीकानेर वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016–17 पृ.16*
6. *नगर निगम, बीकानेर वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017–18 पृ.23.*